यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटैक्नीक, गौचर (चमोली),** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटैक्नीक, गौचर (चमोली),** के माह 03/2016 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री जोगिंदर सिंह वरि॰ लेखापरीक्षक, श्री अजय त्यागी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री डी॰के॰ मट्टू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 25/05/2018 से 29/05/2018 तक श्री राम सनेही लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामवीर सिंह एवं श्री राजबहादुर सहा॰ लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 16-03-2016 से 19-03-2016 तक श्री सुनील कल्ला वरि॰ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 01/2015 से 02/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2016 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः संस्थान मे शैक्षणिक, तकनीकी गुणवत्ता सुधार शिक्षा कार्यकर्मों का संचालन किया जाता है।यह एक प्राविधिक शिक्षा विधालय है, जिसमे वर्तमान मे 04 विभिन्न ब्रांचो मे डिप्लोमा स्तर पर पठन-पाठन का कार्य किया जा रहा है,यह संस्थान रुद्रप्रयाग शहर से 22 कि॰मी॰ की दूरी पर है। चमोली से 45 कि॰मी॰ तथा ऋषिकेश से 170 कि॰मी॰ कि दूरी पर स्थित है।जिसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

क्र॰सं॰	**वित्तीय वर्ष**	**स्थापना**			**गैर स्थापना**			**आधि॰**	**बचत**
		प्रा॰ शे॰	**आवंटन**	**व्यय**	**प्रा॰ शे॰**	**आवंटन**	**व्यय**		
1	2015-16 Non plan	-	128.29	127.42	-	56.46	55.91		1.42
	Plan	-	0	0	-	3.1	3.0		0.1
2	2016-17 Non plan	-	186.96	153.14	-	27.98	27.90		33.9
	Plan	-	0	0	-	16.86	16.86		0
3	2017-18 Non plan	-	161.63	161.60	-	34.40	34.39		0.04
	Plan	-	0	0	-	2.00	2.00		0
4	2018-19 (04/2018 तक)	-	239.60	15.57	-	3.35	0		-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं (CDTP) के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष		**प्राप्त धनराशि**				
	प्रा॰ शेष	**आवंटन**	**ब्याज आदि प्राप्तियाँ**	**योग**	**व्यय**	**बचत**
2015-16 Rec. Grant	1.47	8.00	0.05	9.52	5.78	3.74
Non Rec. Grant	4.76	0	0.16	4.92	1.49	3.43
2016-17 Rec. Grant	3.74	5.00	0.23	8.97	7.10	1.88
Non-Rec Grant	3.43	0	0.15	3.58	0.15	3.44
2017-18 Rec. Grant	1.88	0	0.03	1.91	5.08	(-)3.18
Non-Rec Grant	3.44	0	0.08	3.52	0.23	3.29
2018-19 (04/2018) तक Rec Grant	(-)3.18	0	0	0	0	0
Non rec.	3.29	0	0	0	0	0

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत, राज्य सरकार / भारत सरकार है ।

(iv) इकाई की श्रेणी "सी" है।

(v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव
↓
निदेशक
↓
अपर निदेशक
↓
संयुक्त निदेशक
↓
उप-निदेशक
↓
संस्था प्रधानाचार्य

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटैक्नीक, गौचर (चमोली),** की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी

किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटैक्नीक, गौचर (चमोली),** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित हैं। माह 03/2016 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो ब

प्रस्तर 1:- छात्रनिधि खाते से शासनादेश के विरुद्ध ₹ 1386195.00 की धनराशि का अनियमित आहरण कर धनराशि का समायोजन न करना।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10.07.1986 के अंतर्गत महाविद्यालयो मे छात्रनिधियों के रख रखाव एवं उपयोग संबंधित नियम/ मार्ग दर्शन बनाए गए है एवं इस प्रयोजन हेतु महाविद्यालयो मे छात्रनिधिया संचालित किए जाने का प्रावधान किया गया था जिस पर प्राचार्य का पूर्ण नियंत्रण निर्धारित था। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 05 के अनुसार "छात्र कोष से विकास कोष अथवा अनुरक्षण कोष हेतु कोई ऋण नही लिया जाएगा और यह राशि उसी मद पर व्यय की जाएगी जिसके लिए वसूल की गयी है" एवं बिन्दु संख्या 06 के अनुसार "यदि किन्ही कारणो से किसी छात्र कोष मे बचत हो जाती है और यह बचत तीन वर्ष तक बची रहती है तो उस कोष की समिति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कालेज की प्रबंध समिति के अनुपोदरांत शिक्षा निदेशक, तकनीकी शिक्षा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है"।

छात्र कल्याण निधि नियमावली 2003 मे यह स्पष्ट उल्लेख है कि" The collection from students in the Niche and interest earned thereon shall be utilized to provide assistance under rule-6 *(objective of nidhi- provide financial assistance to student)* and also to meet establishment and other expenses necessary for administration of Nidhi."

कार्यालय प्राचार्य राजकीय पोलो टेकनिक गोचर (चमोली) के छात्रनिधियों से संबन्धित अभिलेखो की जांच के उपरान्त पाया गया कि विद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रनिधियों का संचालन किया जा रहा हैं। आगे जांच मे पाया गया कि भिन्न-भिन्न प्रयोजन हेतु समय-समय पर बिना समिति को प्रस्ताव पारित किए /प्रबन्ध समिति के अनुमोदन के बिना छात्रनिधि से आहरण निम्न विवरण के अनुसार किया, जिसमे धनराशि के आहरण का प्रयोजन व समायोजन इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि (04/2018) तक सम्प्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था

क्र0 सं0	वर्ष	आहरित धनराशि (₹)	धनराशि व्यय करने का प्रयोजन/मद	कैम्पस का नाम	छात्र निधि खाते मे समायोजन
01	2016-17	35142.00	अनुरक्षण	कार्यालय प्राचार्य राजकीय पोलटेकनिक गोचर (चमोली)	-
02	2017-18	811956.00	अनुरक्षण	कार्यालय प्राचार्य राजकीय पोलो टेकनिक गोचर (चमोली)	प्राचार्य राजकीय पोलो टेकनिक पोखरी (चमोली) को वर्ष

					2017-18 मे छात्र निधि खाते से ₹ 733348.00 की ऋण रूप मे ली गयी उक्त धनराशि का संप्रेक्षा तिथि तक समायोजन नहीं हुआ था ।
03	2016-17	181972.00	विधुत व्यय	कार्यालय प्राचार्य राजकीय पोलो टेकनिक गोचर (चमोली)	-
04	2017-18	205921.00	विधुत व्यय	कार्यालय प्राचार्य राजकीय पोलो टेकनिक गोचर (चमोली)	-
05	2016-17	87044.00	कम्प्युटर/इंटरनेट	कार्यालय प्राचार्य राजकीय पोलो टेकनिक गोचर (चमोली)	-
06	2017-18	64160.00	कम्प्युटर/इंटरनेट	कार्यालय प्राचार्य राजकीय पोलो टेकनिक गोचर (चमोली)	-
	योग	**1386195.00**			

उक्त तालिका से स्पस्ट हे कि छात्र निधि खाते से शासनादेश के विपरीत ₹ 1386195.00 की धनराशि आहरित की गयी, जो लेखापरीक्षा तिथि (04/2018) तक असमायोजित थी। यह भी देखा गया कि विगत वर्षो मे समय-समय पर आहरित धनराशि का समायोजन 02 वर्षो से भी अधिक समय के लिए ब्याज रहित असमायोजित थी, जो वित्यीय अनियमितता को दर्शाता है। सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग द्वारा'

उक्त के सम्बंध मे तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुऐ संप्रेक्षा को अवगत कराया कि आवश्यकता पड़ने पर उक्त मद कि धनराशि का आहरण छात्र निधि खाते से किया। विभाग का उत्तर संप्रेक्षा मे मान्य नहीं हैं, क्योकि विभाग द्वारा आहरण के संबंध मे शासनादेश का पालन नहीं किया था ।प्रकरण संघयान मे लाया जाता हैं।

भाग-दो ब

प्रस्तर 2:- CDTP योजना की धनराशि से प्राप्त व्याज ₹ 70825.00 को अनियमित रूप से बचत खाते मे रखना एवं संप्रेक्षा तिथि-(04/2018 तक) राजस्व खाते मे जमा न करना।

शासन के शासनादेश संख्या:- 875(1)/वित्त अनुभाग-3/2003 दिनाक -30/04/2003 के पेरा -03 मे स्पष्ट प्रविधान हें कि योजना (प्लान) की कोई भी धनराशि बिना शासन की अनुमति के बचत खाते मे न रखि जाए। संप्रेक्षा द्वारा जांच मे पाया गया कि इकाई द्वारा CDTP योजना की धनराशि जो 100% भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित थी को बचत खाते मे रखी गयी थी जिस पर निम्न वर्षो मे इकाई द्वारा व्याज प्राप्त किया गया था जिसका विवरण निम्नवत हैं।

क्र0सं0	वर्ष	व्याज की धनराशि (₹)	योजना का नाम	मद का नाम
01	2015-16	5313.00	CDTP	0049-व्याज प्राप्ति
02	2015-16	16419.00	CDTP	0049-व्याज प्राप्ति
03	2016-17	23284.00	CDTP	0049-व्याज प्राप्ति
04	2016-17	15425.00	CDTP	0049-व्याज प्राप्ति
03	2017-18	2516.00	CDTP	0049-व्याज प्राप्ति
04	2017-18	7868.00	CDTP	0049-व्याज प्राप्ति
	योग	**70825.00**		

उक्त प्रकरण मे कॉलेज द्वारा योजना की धनराशि को रखने हेतु न तो शासन से बचत खाते मे धनराशि रखने हेतु अनुमति प्राप्त की न शासन से अनुमति प्राप्त कर चालू/पीएलए खाते खुलवा ने का प्रयास किया तथा दो वर्षो मे अर्जित व्याज को सरकार के राजस्व खाते -0049 मे जमा कराने को प्रयास किया। सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग द्वारा'

उक्त के सम्बंध मे तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुऐ संप्रेक्षा को अवगत कराया कि गाइड लाइन से गाइड होने के कारण न तो शासन की अनुमति ली गयी, न ही व्याज की धनराशि को सार्कर के राजस्व खाते मे जमा कराया विभाग का उत्तर संप्रेक्षा मे मान्य नहीं हैं, क्योकि विभाग द्वारा बचत खाते मे योजना की धनराशि को रखने के संबंध मे शासनादेश का पालन नहीं किया था। प्रकरण संघयान मे लाया जाता हैं।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या**	**अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षाटिप्पणी**
2000-01/56	01	-	-
2014-15/158	-	01	01,02
2015-16/217	-	01	-
योग	01	02	02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	**प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
विवरण पत्रावली मे सलग्न है				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटैक्नीक, गौचर (चमोली),** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित**

   अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**	**दिनांक**
1.	श्री मुकेश तेवाड़ी	कार्य॰ प्राचार्य	15-07-2015 से 17-11-2016 तक
2.	श्रीमति किरण खर्कवाल	कार्य॰ प्राचार्य	18-11-2016 से 25-08-2017 तक
3.	श्री नरेंद्र कुमार	प्राचार्य	26-08-2017 से 03-11-2017 तक
4.	श्री देवेंद्र यादव	प्राचार्य	04-11-2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटैक्नीक, गौचर (चमोली),** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र (संबंधित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.